



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 15-2018] CHANDIGARH, TUESDAY, APRIL 10, 2018 (CHAITRA 20, 1940 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

वास्तुकला विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 मार्च, 2018

संख्या आर्क-2018/6303.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा वास्तुकला तकनीकी (ग्रुप-ग) सेवा नियम, 1990, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. ये नियम हरियाणा वास्तुकला तकनीकी (ग्रुप-ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2018, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा वास्तुकला तकनीकी (ग्रुप-ग) सेवा नियम, 1990 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 1 में, "नकनीकी" शब्द के स्थान पर, "तकनीकी" शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा।
3. उक्त नियमों में, नियम 2 में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—
(क) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग;"।
4. उक्त नियमों में, नियम 5 में, "तीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "बयालीस वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे।
5. उक्त नियमों में, नियम 9 में, उप-नियम (1) में,—
 - (i) खण्ड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—
 - (i) सहायक नक्शानवीसों की दशा में,—
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;" तथा
 - (ii) खण्ड (छ) का लोप कर दिया जायेगा।
 - (iii) खण्ड (ज) को खण्ड (छ) के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा।

6. उक्त नियमों में, नियम 14 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“14. (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से संबंधित मामलों में, सेवा के सदस्य हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 द्वारा शासित होंगे:

परन्तु ऐसी शक्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती है, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के अधीन रहते हुये, वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 9 के खण्ड (ग) तथा खण्ड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वहीं होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट हैं।”

7. उक्त नियमों में, परिशिष्ट क के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परिशिष्ट क

(देखिये नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई	जोड़	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	वास्तुक सहायक	13	—	13	लेवल-6/सैल-1= ₹ 35400+100/-₹ विशेष वेतन
2.	वरिष्ठ नक्शानवीस	13	2	15	लेवल-6/सैल-1= ₹35400
3.	वरिष्ठ नक्शानवीस (इंटीरियर डैकोरेटर)	—	1	1	लेवल-6/सैल-1= ₹35400
4.	वरिष्ठ नक्शानवीस (प्रतिमाकार)	1	—	1	लेवल-6/सैल-1= ₹35400
5.	क्वनिष्ठ नक्शानवीस	23	2	25	लेवल-6/सैल-1= ₹35400
6.	सहायक नक्शानवीस	11	3	14	लेवल-6/सैल-1= ₹35400
7.	फैरो मुद्रक	1	—	1	लेवल-6/सैल-1= ₹19900”

8. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ख में,-

(i) क्रम संख्या 6 के सामने, खाना 3 तथा 4 के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

3.	4.
“(i) वास्तुकला सहायकी (Assistantship) में उपाधि-पत्र (डिप्लोमा); तथा (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत;”	स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा - “(i) सहायक नक्शानवीस के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; तथा (ii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत;”

(ii) क्रम संख्या 7 तथा उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा; तथा

(iii) क्रम संख्या 8 को क्रम संख्या 7 के रूप में पुनः संख्याकित किया जायेगा।

9. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ग के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:-

“ परिशिष्ट ग

[देखिये नियम 14(1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्त प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय और अंतिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो,
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	वास्तुक सहायक	मुख्य वास्तुक	(I) लघु शास्तियाँ हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विनिर्दिष्ट। (II) बड़ी शास्तियाँ हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विनिर्दिष्ट।	मुख्य वास्तुक	सरकार	सरकार
2.	वरिष्ठ नक्शानवीस					
3.	वरिष्ठ नक्शानवीस (इंटीरियर डैकोरेटर)					
4.	वरिष्ठ नक्शानवीस (प्रतिमाकार)					
5.	कनिष्ठ नक्शानवीस					
6.	सहायक नक्शानवीस					
7.	फैरो मुद्रक					

10. उक्त नियमों में, परिशिष्ट घ में, -

- क्रम संख्या 7 तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा; तथा
- क्रम संख्या 8 को क्रम संख्या 7 के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 20 मार्च, 2018.

आलोक निगम,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वास्तुकला विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
ARCHITECTURE DEPARTMENT

Notification

The 20th March, 2018

No.Arch.-2018/6303.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules to further amend the Haryana Architecture Technical (Group C) Service Rules 1990, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Architecture Technical (Group C) Service (Amendment) Rules, 2018.
2. In the Haryana Architecture Technical (Group C) Service Rules, 1990, (hereinafter called the said rules), in rule 2, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-
“(a) “Commission” means the Haryana Staff Selection Commission;”
3. In the said rules, in rule 5, for the words “thirty years”, the words “forty- two years” shall be substituted.
4. In the said rules, in rules 9, in sub-rule (1); -
(i) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:-
“(f) in the case of Assistant Draftsman,-
(i) by direct recruitment; or
(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;” and;
(ii) clause (g) shall be omitted.
(iii) clause (h) shall be re-numbered as clause (g).
5. In the said rules for rule 14, the following rule shall be substituted; namely:-
“14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, as amended from time to time :
Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such, as are specified in Appendix C to these rules.
(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016 and appellate authority shall be such as specified in Appendix D to these Rules.
6. In the said rules, for Appendix A the following Appendix shall be substituted, namely:-

“Appendix A

(see Rule 3)

Serial number	Designation of post	Number of posts			Scale of Pay
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6
1.	Architectural Assistant.	13	-	13	Level-6/Cell-1=₹ 35400 + 100/-S.Pay
2.	Senior Draftsman	13	2	15	Level-6/Cell-1=₹ 35400
3.	Senior Draftsman (Interior Decorator)	-	1	1	Level-6/Cell-1=₹ 35400
4.	Senior Draftsman (Modellor)	1	-	1	Level-6/Cell-1=₹ 35400
5.	Junior Draftsman	23	02	25	Level-6/Cell-1=₹ 35400
6.	Assistant Draftsman	11	03	14	Level-6/Cell-1=₹ 35400
7.	Ferro-Printer	1	-	1	Level-2/Cell-1=₹ 19900

7. In the said rules, in Appendix B:-

- (i) against serial number 6, under column 3 and 4, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

Serial number	Name of post	by direct recruitment	by transfer/deputation
1.	2.	3.	4.
Sr.No.6.	Assistant Draftsman	“(i) Diploma in Architectural Assistantship; and (ii) Hindi/Sanskrit upto matric standard or Higher Education;”	“(i) Three years experience as Assistant Draftsman; and (ii) Hindi/Sanskrit upto matric standard or Higher Education;”

- (ii) serial number 7 and entries there shall be omitted; and
(iii) existing serial number 8 and entries there against shall be re-numbered as serial number 7.

8. In the said rules, for Appendix C the following appendix shall be substituted, namely :-

Appendix C

(see rule 14 (1))

Serial number	Designation of post	Appointing Authority	Nature of Penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority	Second and final appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6	7.
1.	Architectural Assistant.	Chief Architect	I. Minor Penalties As specified in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016. II. Major Penalties As specified in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016.	Chief Architect	Government	Government
2.	Senior Draftsman					
3.	Senior Draftsman (Interior Decorator)					
4.	Senior Draftsman (Modellor)					
5.	Junior Draftsman					
6.	Assistant Draftsman					
7.	Ferro-Printer					

9. In the said rules, in Appendix D:-

- (i) serial number 7 and entries there against shall be omitted; and
(ii) serial number 8 and entries there against shall be re-numbered as serial number 7.

Chandigarh:
The 20th March, 2018.

ALOK NIGAM,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Architecture Department